कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जनपद अलीगढ़।

संख्या–349(1)/अधि0/स0सु0/2020 दिनांक–04.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त प्रकरणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलीगढ़ जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है –

क्र. सं.	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा (Speed Limit)			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	दिल्ली–कानपुर मार्ग (NH-91)	(1) भरतरी के दोनों ओर 1 किमी0 तक (2) खेरेश्वर चौराहा (3) बौनेर तिराहा	40 किमी0 प्रति घंटा	40 किमी0 प्रति घंटा	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा
2	आगरा–अलीगढ़–मुरादाबाद मार्ग (NH-93)	जवाँ	40 किमी0 प्रति घंटा	40 किमी0 प्रति घंटा	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा
3	पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (SH-22A)	खैर थाना से अंत तक, जट्टारी	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा
4	अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (SH-80)	इगलास से 5 किमी0 दोनों ओर	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा
5	अलीगढ़–रामघाट मार्ग (MDR-105)	तालानगरी, सेंट फिदेलिस स्कूल से थाना हरदुआगंज तक	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा
6	कासगंज–अतरौली मार्ग (MDR-86)	अतरौली से 3 किमी0	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा	30 किमी0 प्रति घंटा
7	छाता–बाजना–गौमत मार्ग (MDR-139)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
8	नानऊ–दादों मार्ग (MDR-82)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
9	नरौना–बरला मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
10	साधू आश्रम–कासिमपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
11	अतरौली से अतरौली रेलवे स्टेशन मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
12	अलीगढ़–शेड्रो फैक्ट्री मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
13	हरदुआगंज–कासिमपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
14	हरदुआगंज–शेड्रो फैक्ट्री मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा

15	गौण्डा–खैर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
16	खैर–सोमना मार्ग	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
17	गौमत मोड़–चण्डौस वाया नगला पदम मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
18	अलीगढ़–बरौली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
19	कटरा–बरौली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
20	देहली–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नं0–91 का गभाना आबादी भाग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
21	अलीगढ़–रामघाट मार्ग के गाँव खेड़ा से गोधा से सी0टी0के0 मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
22	जट्टारी–गौरौला वाया फौजुआका वाजिदपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
23	अतरौली–पनेहरा–जिरौली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
24	अतरौली–पालीमुकीमपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
25	हरदोई–प्यावली–नरूपुरा–पनेहरा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
26	गभाना–बरौली–पहासू मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
27	रामघाट–साँकरा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
28	सोमना रेलवे स्टेशन मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
29	अकबरपुर–टैंटीगांव–खैर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
30	दौरऊ मोड़–पिसावा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
31	जट्टारी–पिसावा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
32	टप्पल–घांघोली–मानागढ़ी मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
33	सुमेरा–बरौली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
34	दादों–सांकरा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
35	पनैठी–गंगीरी मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
36	नानऊ–दादों मार्ग से बरला टाउन मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
37	अलीगढ़–गौण्डा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
38	सासनी–इगलास मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
39	इगलास–गौण्डा मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
40	हाथरस–इगलास मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
41	अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग के किमी0 26 छैछऊ हरौथा से गोरई मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
42	नौरंगाबाद–छावनी–शहवाजपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
43	अलीगढ़–शहर बाईपास मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा

44	इगलास–गोरई मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
45	गौण्डा–गोरई–बेसवाँ मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
46	साधु आश्रम–पनैठी मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
47	भीकमपुर–मलसई मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
48	मुरसान–इगलास मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
49	सासनी–अकराबाद मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
50	दादों–जिरौली–आलमपुर मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
51	हरदुआगंज–जलाली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
52	सासनी–नानऊ मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
53	गोपी–भिलावली मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
54	गोपी–विजयगढ़ मार्ग (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा
55	दिल्ली–कानपुर मार्ग (शहरी आबादी मार्ग) एन0एच0–34 (पूर्व में एन0एच0–91) (ODR)	सम्पूर्ण मार्ग	40 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	60 किमी0 प्रति घंटा	50 किमी0 प्रति घंटा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा –

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके, इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

- (अ) अग्नि शमन वाहन।
- (ब) एम्बुलेन्स।
- (स) पुलिस वाहन।
- (द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
- (य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक–06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

19/6

(रंजीत सिंह)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अलीगढ़।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3– जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4– पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
7– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़।
8– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त जनहित की अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा0)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद अलीगढ़।

तेज स्पीड में वाहन दौड़ाया तो होगा लाइसेंस निरस्त

जासं, अलीगढ़ : प्रदेशभर में होने वाले सड़क हादसों में तेज रफ्तार के चलते हो रही मौतों को लेकर सरकार ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की तैयारी की है। शहर, निकाय और देहात क्षेत्र में ऐसे वाहनों की स्पीड निर्धारित कर दी गई है। तय स्पीड से तेज वाहन दौड़ाया तो वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने के अलावा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वाहनों की रफ्तार पर नजर रखने और कार्रवाई करने का जिम्मा एआरटीओ प्रशासन को सौंपा गया है।

ओवरलोड व ओवरस्पीड पर लाइसेंस सीधे होगा निरस्त : आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल डेढ़ लाख लोग मर जाते हैं। अब ओवरलोड व ओवरस्पीड वाहन चलाने

वालों की धरपकड़ के साथ उनके लाइसेंस निरस्त करने व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। नए नियमों को सख्ती से लागू कराया जा सकेगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अब पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना पांच सौ रुपये था। वहीं, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये भरने पड़ेंगे। इससे नशे में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ड्राइविंग के दौरान सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। किसी भी नियम को तोड़ने पर चालान या कुछ महीने की कैद भी हो सकती है। लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।

वाहनों की स्पीड तय : शहर, निकाय और देहात क्षेत्र में वाहन की स्पीड तय की गई है। इसमें टू व्हीलर 40 किमी प्रतिघंटा, आठ सीटर वाहन 60 की रफ्तार से चलाया जा सकेगा। आरटीओ प्रवर्तन फरीदुद्दीन ने बताया कि इन वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जाएगा, ताकि रात में होने वाले हादसे रोके जा सकें। स्पीड से फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस, अर्धसैनिक बल और प्राकृतिक आपदा से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।